कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.)

Fax: 07755-264078, Office Tel: 07755-264080 Email: mungeli.court-cg@gov.in

–:आदेश:–

क्रमांक **18**/दो–12–20/2018 मुंगेली, दिनांक 30 जनवरी 2024

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 05 मुंगेली दिनांक 10 जनवरी 2024 के अंतर्गत सहायक ग्रेड–तीन के पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनके संवर्ग के प्रतीक्षा सूची में दर्शित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को **सहायक ग्रेड–तीन** के पद पर **छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल–4 वेतनमान 19500–62000** में उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से निम्नांकित शर्तो के अधीन नियुक्ति किया जाता है:–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	निवास का पता	चयनित संवर्ग
1	श्री आकाश तिवारी	श्री अनिल तिवारी	माता पारा चौक कुदुदण्ड बिलासपुर छ0ग0	**अनारक्षित (मुक्त)**
2	श्री राजेश कुमार बघेल	श्री रामू लाल बघेल	27 बीच पारा वार्ड 18 ग्राम लोकबंध पो0 करगीखुर्द तह0 कोटा जिला बिलासपुर (छ0ग0)	**अनुसूचित जाति (मुक्त)**

नियुक्ति की शर्तेः–

(1) उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

(2) चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(3) चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करा कर इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी ।

(4) चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय 02 कोरी सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना होगा तथा सेवा पुस्तिका के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति एवं अवलोकनार्थ मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर प्रतिकूल प्रतिवेदन पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

(6) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(7) बिना पूर्व अनुमति के किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा उच्च उपाधि प्राप्त करने हेतु सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही अन्यत्र नौकरी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

(8) शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

(9) **चयनित अभ्यर्थी को अनिवार्यतः दिनांक 14.02.2024 तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली के कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।**

(10) आज्ञाकारिता के उत्कृष्ठ मानदण्ड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र यदि पूर्व से सत्यापित न हो, तो उसे उच्च स्तरीय छानबीन समिति से एक माह के भीतर सत्यापित कराना होगा।

सही/–
(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक **103**/दो–12–20/2018 मुंगेली दिनांक 30 जनवरी 2024

<u>यथा आदेश प्रतिलिपिः–</u>

1. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग मुंगेली।
2. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय अनुभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. श्री आकाश तिवारी पिता श्री अनिल तिवारी, पता–माता पारा चौक कुदुदण्ड बिलासपुर छ0ग0

4. श्री राजेश कुमार बघेल पिता श्री रामू लाल बघेल, पता–27 बीच पारा वार्ड 18 ग्राम लोकबंध पो0 करगीखुर्द तह0 कोटा जिला बिलासपुर (छ0ग0)

की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सही / –
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली (छ.ग.)